

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ )

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 30 मई, 2008

अधिसूचना

सां० आ०----- (अ०) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956(1956 का 74) की धारा 8 की उपधारा (1) में परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 जून, 2008 से उपर्युक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट कर की तीन प्रतिशत की दर को कम करके दो प्रतिशत करती है।

(सं० 1/2008-के०बि०क०-फा० सं० 28/11/2007-एस.टी.)

अर० जी० बा०  
(आर०जी० छावड़ा)  
अवर सचिव, भारत सरकार

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,  
PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India  
Ministry of Finance  
(Department of Revenue)

New Delhi, dated the 30<sup>th</sup> May, 2008

**NOTIFICATION**

S.O. .... (E)- In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956(74 of 1956), the Central Government hereby reduces the rate of tax as specified in sub-section (1) of section 8 of the said Act from three per cent to two per cent with effect from 1st June, 2008.

[No.1/2008-CST-F.No.28/11/2007-ST]



(R.G. Chhabra)

Under Secretary to Government of India